विचार बिन्दु

सुधार के बिना पश्चाताप ऐसा है जैसे सुराख़ बंद किये बिना जहाज में से पानी निकालना। –पामर

छात्रसंघ चुनावों का कोई औचित्य नहीं रह गया है!

पूरी दुनिया की ही तरह हमारे देश में भी छात्र संगठनों की एक लम्बी परंपरा ही है। आज़ादी के आंदोलन में युवाओं की सहभागिता और भूमिका पर काफी कुछ लिखा गया है। आज़ादी के बाद भी विभिन्न अवसरों पर युवाओं ने अपनी सक्रियता से देश को नई दिशाएं देने के अनेक प्रयास किए हैं। विभिन्न युवा संगठनों के निरंतर ज़ारी क्रिया कलापों के साथ-साथ आज़ादी के बाद भारत में सरकारों ने भी युवाओं को प्रशिक्षित करने और उनकी ऊर्जा को सकारात्मक रूप से प्रयुक्त करने के पवित्र उद्देश्य से शिक्षण संस्थाओं में छात्र संघों की स्थापना की पहल की। इस पहल का उद्देश्य मुख्यत: यह था कि एक नव स्वाधीन देश के युवा भी देश की चुनाव प्रक्रिया को न केवल समझें, उसमें व्यावहारिक रूप से भी हिस्सा लें। इसके अलावा यह काम युवाओं को अपने अधिकारों के प्रति सजग बनाने और अपने हित के बहुत सारे काम ख़ुद करने में सक्षम करने के लिए भी किया गया। शिक्षण संस्थाओं में बाकायदा चुनाव होने लगे, विद्यार्थी उनमें बढ चढकर हिस्सा लेने लगे और बाद में उनके चुने हुए प्रतिनिधि न केवल उनकी विभिन्न समस्याओं को संबद्ध शिक्षण संस्थान के प्रबंधन तक पहुंचा कर उनके समाधान प्राप्त करने में सफल होने लगे, वे बहुत सारे विद्यार्थी हित के कार्यक्रम स्वयं भी आयोजित करने लगे। यह एक आदर्श स्थिति थी।

लेकिन यह आदर्श स्थिति बहुत लम्बे समय तक नहीं बनी रही। जिन बडे और पवित्र उद्देश्यों को लेकर छात्र संघों का गठन किया जाने लगा था, वे उद्देश्य कहीं पिछड गए और उनकी जगह छात्रों के क्षुद्र स्वार्थ और दलगत राजनीति की विकृतियों ने ले ली। विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपनी युवा इकाइयां बना लीं और उन युवा इकाइयों के माध्यम से वे और उनके बडे नेता इन चुनावों में सीधे दखल देने लगे। वे प्रत्याशियों को टिकिट बांटने लगे और फिर उनके समर्थन में वह सब कुछ करने लगे जो वे आम चुनावों में करते हैं। इस विद्यार्थी राजनीति से निकल कर कुछ युवा क्षेत्रीय, प्रादेशिक और राष्ट्रीय राजनीति में भी जगह बनाने में कामयाब हुए तो उन्हीं की छवि को प्रचारित कर राजनीतिक दलों के नेताओं ने युवाओं के मन में राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का बीजारोपण करके उसे पाला-पोसा और अपने लिए समर्थकों की फौज़ तैयार करने का लाभ अर्जित किया।

विद्यार्थी संघों के चुनाव भी खूब चमक-दमक, शोर-शराबे और पानी की तरह पैसा बहाने वाले हो गए। बड़ी-बड़ी गाड़ियां चुनाव प्रचार में दौडने लगीं, मतदाताओं को रिझाने के लिए वह सब किया जाने लगा जिसकी चर्चा और निंदा आम चुनावों के समय होती है, और चुने हुए प्रत्याशी छोटे-मोटे नेता का-सा बर्ताव करने लगे। शिक्षक का आदर बहुत पीछे छूट गया और इन निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा अपने गुरुजन के प्रति दुर्व्यवहार की ख़बरें आम होने लगीं। शिक्षकों के लिए चुप, हट, बाहर निकल कर दिखा, बोला तो आंखें निकाल दूंगा जैसी भाषा का प्रयोग और उनके साथ मार पीट की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। अकेले राजस्थान विश्वविद्यालय में एक माह में इस तरह के तीन प्रकरण दर्ज़ हुए हैं, और यह तब जब अधिकांश मामलों में शिक्षक अपने अपमान का घूंट पीकर रह जाते हैं। जो लोग बहुत सारा खर्चा करके चुनाव जीतते वे जीत जाने के बाद उस खर्चे की भरपाई के लिए तमाम तरह की अनुचित हरकतें करते देखे जाने लगे हैं। छात्र संघों के बजट का मनमाना दुरुपयोग अपवाद नहीं रह गया, आम हो गया है।

निर्वाचित नेता अपने लिए बाकायदा दफ्तर, चपरासी और अन्य सुविधाएं मांगने लगे हैं, भले ही उनके संस्थान में इन सबके लिए कोई प्रावधान न भी हो। अध्यक्ष जी को ठीक वैसी ही या उससे बढ़िया कुर्सी चाहिए जैसी उनके संस्थान के प्राचार्य के पास है। उनके कक्ष में पहले कूलर की ज़रूरत होती थी, अब एसी की अनिवार्यता होने लगी है। और सत्र भले ही समाप्त हो जाए, निर्वाचित पदाधिकारी शायद ही स्वेच्छा से अपना कार्यालय खाली करते हों। उनसे कार्यालय खाली करवाना संबद्ध संस्थान के प्रबंधन के लिए कभी भी आसान नहीं होता है। इतना सब होने के बाद यह बात तो विचारणीय रह ही जाती है कि इस तरह निर्वाचित छात्र संघ किन उद्देश्यों को पूरा करते हैं? शायद ही ऐसी कोई मिसाल मिले जहां इन निर्वाचितों ने अपने मतदाताओं के हित के लिए कोई काम किया हो। असल में इनके अपने हित ही पूरे नहीं हो पाते हैं, ये भला अपने मतदाताओं की फिक्र करें भी कब? चुने जाने के बाद पहले छात्र संघ का उद्घाटन हुआ करता था, अब एक और नई चीज़ जुड गई है – छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन। कभी-कभी कार्यालय के उद्घाटन के बाद निर्वाचित पदाधिकारियों को उनके कार्यालय में पदासीन करने का भी एक काम अलग से किया जाता है। ये सारी रस्में या तो अपने राजनीतिक आकाओं के कर कमलों से सम्पन्न करवाई जाती है या फिर अपनी जाति के किसी प्रभावशाली व्यक्तित्व को ऐसा करने के लिए आमंत्रित कर उसकी शान बढ़ाई जाती है। ऐसे उदाहरण बहुत ही कम मिलेंगे जहां शिक्षण संस्था की गरिमा के अनुरूप किसी विद्वान को उद्घाटन आदि के लिए आमंत्रित किया गया हो।

हम छात्र संघ चुनावों के संदर्भ में बात तो लोकतंत्र की करते हैं लेकिन हकीकत यह है कि ये चुनाव लोकतंत्र का विकृततम रूप सामने लाते हैं। अगर इस बात पर भी विचार किया जाए कि इनके माध्यम से हमें देश के भावी नेता प्राप्त होते हैं, तो सवाल यह भी पूछा जाना चाहिए कि शिक्षण संस्थान नेताओं की नर्सरी कब से मान लिये गए हैं?

इन तमाम बातों का संज्ञान माननीय उच्चतम न्यायालय ने लिया और सन् 2005 में उसने छात्र संघों के चुनाव में आ गई विकृतियों का उन्मूलन करने के लिए पूर्व चुनाव आयुक्त जे एम लिंगदोह के नेतृत्व में एक छह सदस्यीय समिति का गठन किया। समिति ने 26 मई 2006 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी और इसी क्रम में दिनांक 22 सितम्बर 2006 को माननीय उच्चतम न्यायालय ने कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को निर्देशित किया कि वे समिति की अनुशंसाओं की अनुपालना करें। लिंगदोह समिति ने जो विस्तृत और सुस्पष्ट अनुशंसाएं कीं, उनमें से कुछ मुख्य अनुशंसाएं ये थीं:– छात्र संघ चुनाव और विद्यार्थी प्रतिनिधि राजनीतिक दलों से कोई संबद्धता नहीं रखेंगे, कोई भी ग़ैर विद्यार्थी चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेगा, चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी की कक्षाओं में न्यूनतम 75 प्रतितशत उपस्थिति होगी, प्रति प्रत्याशी अधिकतम पांच हज़ार रुपये खर्च किए जा सकेंगे और परिणाम घोषित होने के दो सप्ताह के भीतर प्रत्याशी को अपने खर्चे का अंकेक्षित हिसाब प्रस्तुत करना होगा। मतदाताओं को रिझाने के लिए जाति-सम्प्रदाय आदि का प्रयोग वर्जित रहेगा, चुनाव प्रचार के लिए मुद्रित पोस्टर्स, पैम्फलेट आदि का प्रयोग नहीं होगा। केवल हस्तलिखित पोस्टर्स और वे भी निर्धारित स्थानों पर लगाए जा सकेंगे। प्रत्याशी चुनाव समाप्त होने के बाद पूरे परिसर को साफ करवाएंगे। सार्वजनिक संपत्ति का विरूपण वर्जित रहेगा। लाउडस्पीकर, वाहनों आदि का प्रयोग नहीं होगा।

ये लिंगदोह समिति की अनुशंसाओं में से कुछ हैं और अभी भी लागू हैं। लेकिन व्यवहार में इनकी किसी को तनिक भी परवाह नहीं है। किसी छोटे से छोटे शिक्षण संस्थान का चुनाव भी लाखों का खर्च करके लड़ा जाता है। गाड़ियां दौडती हैं, मतदाताओं का जी भर कर आतिथ्य सत्कार होता है, बड़े नेता और उनके दल खुलकर चुनाव में हस्तक्षेप करते हैं, कुल मिलाकर यह कि क्या नहीं होता है! एक विकृति यह भी आ गई है विश्वविद्यालयों के शिक्षक खुलकर और महाविद्यालयों के शिक्षक दबे-छिपे रूप में इन चुनावों में सक्रिय भूमिका निबाहते हैं और इस तरह वे भी इस कुकर्म के भागीदार बनते हैं। शिक्षण संस्थाओं के प्रबंधन के लिए ये चुनाव सबसे बड़े सिरदर्द होते हैं। और चुनाव हो चुकने के बाद निर्वाचित प्रतिनिधि तो जैसे प्रबंधन के माई-बाप ही बन जाते हैं। प्रबंधन या तो उनके इशारों पर सारे ग़लत काम करे या फिर परिणाम भुगतने को तैयार रहे। परिणामों की ख़बरें हम आए दिन अख़बारों में पढ़ते ही रहते हैं।

इतना सब होने के बाद ये चुनाव देते क्या हैं? अगर इनके माध्यम से युवा पीढ़ी को देश की राजनीतिक व्यवस्था का व्यावहारिक अनुभव होता है, तो क्या यह अनुभव दिया जाना ज़रूरी है? क्या इन चुनावों के बग़ैर युवा अपने देश की व्यवस्था को नहीं जान लेते हैं? हम छात्र संघ चुनावों के संदर्भ में बात तो लोकतंत्र की करते हैं लेकिन हकीकत यह है कि ये चुनाव लोकतंत्र का विकृततम रूप सामने लाते हैं। अगर इस बात पर भी विचार किया जाए कि इनके माध्यम से हमें देश के भावी नेता प्राप्त होते हैं, तो सवाल यह भी पूछा जाना चाहिए कि शिक्षण संस्थान नेताओं की नर्सरी कब से मान लिये गए हैं?

मेरी तो दो टूक राय है कि छात्र संघ चुनाव अपनी सार्थकता पूरी तरह खो चुके हैं। इनसे शिक्षण संस्थानों का पर्यावरण दूषित होता है। ये विद्यार्थियों को ग़लत और अनपेक्षित राह का पथिक बनाते हैं। इनको करवाना शैक्षिक प्रबंधन और स्थानीय प्रशासन के लिए बहुत बडी मुसीबत होता है। जब इनसे किसी तरह का कोई लाभ है ही नहीं, तो केवल नाम के लोकतंत्र के लिए इन्हें करवाते चले जाना आत्मघाती है। इन पर अविलम्ब रोक लगा दी जानी चाहिए।

–अतिथि सम्पादक,
डॉ. दुर्गाप्रसाद अग्रवाल
(शिक्षाविद और साहित्यकार)

समान नागरिक संहिता मात्र चुनावी दाव बन कर रह गई है

डॉ रामावतार शर्मा

हमारे देश में जब भी किसी राजनीतिक पार्टी को येन केन प्रकारेण चुनाव जीतने की चाहत होती है तो वहां से कोई न कोई विवादास्पद मुद्दा किसी ना किसी बहाने बाहर आने लगता है। पार्टियां कितने ही मुद्दों को चुनावों के समय भुनाने के लिए लंबित रखती है। एक सामान्य आदमी चाहे अपने आप को अच्छा खासा ज्ञानी मानता हो परंतु राजनीति के पैंतरेबाजों के हाथों हमेशा ठगा जाता है। कोई भी मुद्दा कितना ही गर्माए, मणिपुर की तरह लोग मारे काटे जाएं, जिंदा जलाए जाएं पर इन विकट स्थितियों में राजनेता अक्सर गायब रहते हैं और सारी व्यवस्था प्रशासनिक अधिकारियों या फिर सेना पर डाल कर अपने कर्तव्य की इतिश्री मान लेते हैं। आज देश में किसी भी राजनेता का ऐसा कद नहीं है कि उसकी उपस्थिति किसी स्थान पर शांति स्थापित कर सके। सर्वोच्च शिखर पर बैठे नेता तो गंभीर समस्या पर वक्तव्य देना या प्रेस कॉन्फ्रेंस करना तक उचित नहीं समझते या फिर शायद ऐसा करने की उनकी हिम्मत नहीं पड़ती। लेकिन ज्यों ही केंद्र या किसी राज्य के चुनाव आने लगते हैं तो मुद्दों के पिटारे से एक ना एक मुद्दा बाहर निकल आता है, वैमनस्य फैलाने का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाता है जो वोट डालने की दोपहर तक बना रहता है और उसी शाम उसका भविष्य में फिर कभी उपयोग के लिए पटाक्षेप हो जाता है।

कर्नाटक चुनाव से पहले गुजरात सरकार ने उच्च न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने का निर्णय लिया जो समान नागरिक संहिता में संवैधानिक परिवर्तनों पर सरकार को सलाह देगी। समान नागरिक संहिता के बारे में हल्ला ज्यादा है और इस मुद्दे पर प्रमाणिअक वैधानिक जानकारी का अभाव है। भारत के संविधान के आर्टिकल 44 के अनुसार राज्य सरकारों से अपेक्षा की गई है कि वे भारत के हर नागरिक के लिए समान नागरिक संहिता का विकास करेंगी और उसे व्यवहार में लाएंगी। दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायाधीश प्रतिभा एम सिंह ने एक तलाक के मामले में आशा व्यक्त की थी कि भारत में समान नागरिक संहिता एक उम्मीद की बजाय वास्तविकता का रूप ले जैसा कि शाहबानो के मामले में भारतीय सर्वोच्च न्यायलय की भी अपेक्षा थी।

भारत एक अत्यधिक विविधताओं वाला देश है जहां हर धर्म में एक और धर्म, हर जाति में कई और जातियां और हर समाज के अपने अलग स्थानों पर अलग कायदे और रीति रिवाज हैं। ऐसे में यह संभव नहीं है कि हर किसी को अपने अपने तरीके से रहने का अधिकार मिले क्योंकि फिर तो देश में एकता की भावना कभी नहीं आ पाएगी। देश में कुछ तो ऐसा होने चाहिए जो सारे राष्ट्र को एक सूत्र में बांध कर रखे। 1937 में बने मुस्लिम पर्सनल लॉ को शाहबानो के मामले में पहली बार भारतीय संविधान से सामना पड़ा। उस समय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री वाई वी चंद्रचूड़ के अनुसार संविधान के आर्टिकल 14 व 15 हर नागरिक को बराबर का अधिकार देते हैं और भेदभाव के पक्ष में नहीं हैं इसलिए मुस्लिम महिलाओं को भी तलाक की स्थिति में रख रखाव राशि का अधिकार है। उधर सीआरपीसी की धारा 125 भी हर तलाकशुदा महिला को आर्थिक सुरक्षा की बात करती है। मुस्लिम पर्सनल लॉ किसी भी रखरखाव राशि के विरोध में है। आगे चलकर 1996 में न्यायाधीश कुलदीप सिंह ने इंगित किया कि जब देश के 80 प्रतिशत नागरिक कोडीफाइड पर्सनल लॉ के आधीन आ गए हैं तो समान नागरिक संहिता पूरे देश में लागू हो जानी चाहिए। वे सरला मुद्गल मामले में टिप्पणी कर रहे थे। इसी तरह लिली थॉमस और फिर 2015 में एक मामले में क्रिश्चियन मामलों में उत्तराधिकार और बच्चों के संरक्षण के मामलों में भी सर्वोच्च न्यायालय ने समान नागरिक संहिता की कमी पर अफसोस जताया था। बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणापत्र में यूसीसी की बात की थी परंतु 2019 में जब नारायणलाल पनगढ़िया इस बारे में संसद में बिल लेकर आए तो उन्हें इसे वापिस लेना पड़ा। दूसरी तरफ 2018 में भारतीय विधि आयोग ने कहा कि इस समय यूसीसी न तो आवश्यक है और ना ही वांछित है। आयोग के अनुसार धर्मनिरपेक्षता भारत के अनेकत्व को नकार कर नहीं देखी जा सकती। संविधान सभा के एक सदस्य कन्हैया लाल मुंशी के अनुसार देश सिर्फ इसलिए देश नहीं होता है क्योंकि लोग ऐसा कहते हैं बल्कि इस पर निर्भर करता है कि लोग कैसे रहते हैं और उनके व्यक्तिगत कानून कैसे हैं ताकि देश एक मजबूत और एकीकृत इकाई बन सके। संविधान के आर्टिकल 25 और 26 लोगों को अपने धर्म को मानने और प्रसारित का अधिकार देते हैं और अल्पमत धार्मिक इकाइयों को अपने धार्मिक क्रियाकलाप की व्यवस्था की क्षमता भी देते हैं। इनके विपरीत आर्टिकल 44 राज्य सरकारों को समान नागरिक संहिता बनाने को प्रेरित करता है। आर्टिकल 25 मुस्लिम तलाक के अधिकार को रक्षा देता है और आर्टिकल्स 371 (ए) और 371 ( ) नागालैंड और मिजोरम के सामाजिक और धार्मिक मामलों में संसद की दखलंदाजी पर रोक भी लगाते हैं।

इस तरह से संवैधानिक और कानूनी रूप में बहुत कुछ विरोधाभाषी लगता है परंतु इसके पीछे एक बड़ा कारण है। भारत का सत्य इसकी विविधता है। यहां हर सौ पचास किलोमीटर पर बोली, भाषा, रीति रिवाज, पहनावे, सामाजिक और धार्मिक मान्यताएं बदल जाती हैं ऐसे में समान मान्यताओं का राष्ट्र बनाना संभव नहीं है। यूसीसी के बारे में यह शंका व्यक्त की जा रही है कि यह हिंदुओं के पक्ष वाला बिल होगा परंतु कितने हिन्दू एक तरह का जीवन जीते हैं? मुस्लिम और ईसाई भी खीरे जैसे हैं जो बाहर से तो एक लगते है पर अंदर से, जैसा रहीम ने कहा था, तीन फांके हैं।

यूसीसी अब मात्र वोट बटोरने का माध्यम हो गया है और शायद प्रारंभ से ही था। कुछ राजनीतिक पार्टियां इसको लागू करने और कुछ अधरझूल में रखने के नाम पर वोट बटोरती रहीं हैं। आगे भी ऐसा होता रहेगा, वैमनस्य फैलता रहेगा क्योंकि यह सब अब सत्ता के शिखर तक पहुंचने की सीढियां बन गई हैं। यदि देश को मजबूत करना है तो लोगों की जीवनशैली, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, संवाद और जागरूकता आदि पक्षों को विकसित करना होगा। जहां तक न्याय का सवाल है तो जैसा भी न्याय है लोगों को सही समय पर मिल जाए यह एक बड़ी उपलब्धि है परंतु इस दिशा में कोई भी कार्य होता नजर नहीं आ रहा है। भारत की पहचान उसकी विविधता है और लगता नहीं है कि उसे मिटाया जा सकेगा। देशहित के बारे में सोचें तो मिटाया जाना भी नहीं चाहिए क्योंकि ऐसे कोई भी प्रयास हिंसा और विघटन के बीज ही रोपेंगे। जिस देश में सहमति से विवाह संबंध विच्छेद में बरसों लगते हैं, युवा लोगों के जीवन बर्बाद हो जाते हैं वहां पर कानूनों का ढेर लगाने से राष्ट्रीय एकता विकसित होगी यह बात गले ही नहीं उतरती है। समान नागरिक संहिता एक राजनीतिक मुद्दा बन कर देश की नींव को कुतरता रहेगा यही आभासित हो रहा है।

–डॉ. रामावतार शर्मा,
(चिकित्सक एवं लेखक)

राजस्थानी भाषा-साहित्य युवा पीढ़ी के हाथों में सुरक्षित : डॉ. राजपुरोहित

जोधपुर, (कासं)। राजस्थानी भाषा विश्व की समृद्ध भाषाओं में एक है। गत पन्द्रह सौ वर्षों का इसका गौरवशाली साहित्यिक इतिहास है। राजस्थानी का आधुनिक साहित्य किसी भी दृष्टि से भारतीय भाषाओं से कम नहीं है। भारत के बाहर अमेरिका और नेपाल जैसे देशों में इसे मान्यता है मगर दुर्भाग्य से अपने ही देश और प्रदेश में यह भाषा उपेक्षित है।

राजस्थानी की संवैधानिक मान्यता के लिए विगत पिचहतर वर्षो से लगातार आंदोलन चल रहा है मगर प्रदेश के राजनेताओं की उदासीनता के कारण अभी तक इसको संवैधानिक मान्यता नहीं मिली। यह विचार प्रतिष्ठित कवि आलोचक एवं जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के राजस्थानी विभागाध्यक्ष डॉ.गजेसिंह राजपुरोहित ने रविवार को बालेसर स्थित एक होटल में युवा कवि नाथूसिंह इंदा की राजस्थानी काव्यकृति "पिणघट" के लोकार्पण समारोह में व्यक्त किये। उन्होंने कहा कि राजस्थान की वर्तमान युवापीढी अपनी मातृभाषा-साहित्य के प्रति बहुत ही समर्पित और निष्ठाभाव से कार्य कर रही है इसलिए राजस्थानी भाषा-साहित्य का भविष्य युवा पीढ़ी के हाथों में पूर्णतया सुरक्षित है।

समारोह आयोजन समिति के अध्यक्ष संतोष गिरी गोस्वामी ने बताया कि इस अवसर पर समारोह के मुख्य अतिथि डॉ.उम्मेदसिंह इंदा ने कहा कि वर्तमान में साहित्य बहुत बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है । इसलिए हमें सच्चे मन और समर्पित भाव से साहित्य की सेवा करनी चाहिए । समारोह में डिंगल के प्रतिष्ठित कवि गिरधरदान रतनू ने अपने व्यक्तव्य में कहा कि हमारी संस्कृति पूरी दुनिया में अद्भुत है। इसलिए हमें सदैव सकारात्मक कार्य कर हमारे सांस्कृतिक गौरव को बनाये रखना चाहिए।

- **युवा कवि नाथूसिंह इंदा की राजस्थानी काव्यकृति "पिणघट" का लोकार्पण समारोह आयोजित**

इस अवसर पर सभी रचनाकारों ने युवा कवि नाथूसिंह इंदा के काव्य संठाह पिणघट की खूब सराहना की। राजस्थानी कवि एवं मारवाड़-रतन अवार्ड से सम्मानित भंवरलाल सुथार ने पिणघट काव्यकृति को राजस्थानी संस्कृति का जीवंत दस्तावेज बताया। साहित्य अकादेमी के युवा पुरस्कार से पुरस्कृत विशिष्ट अतिथि महेन्द्रसिंह छायण ने कहा कि राजस्थानी भाषा और साहित्य पर हमें गर्व है क्योंकि यह विषय हमारी अस्मिता से जुड़ा हुआ है। राजस्थानी युवा रचनाकार मदनसिंह राठौड़ ने अपना आलोचनात्मक पत्र-वाचन करते हुए कहा कि मानवीय संवेदनाओं से परिपूर्ण यह काव्यकृति राजस्थान के ग्रामीण जीवन के सांस्कृतिक परिवेश का सजीव प्रतिबिंब है।

समारोह के प्रारम्भ में अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्ज्वलित किया गया। तत्पश्चात राजस्थानी परम्परानुसार सभी अतिथियों को माला एवं साफा पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर पिणघट काव्यकृति के रचनाकार युवाकवि नाथूसिंह इंदा तथा सायर कंवर का अभिनंदन किया गया। आयोजन समिति अध्यक्ष संतोष गिरी गोस्वामी ने स्वागत उद्बोधन तथा सुमेरसिंह इंदा ने धन्यवाद ज्ञापित किया। समारोह का सरस संचालन डॉ. लक्ष्मणसिंह गड़ा ने किया। समारोह में डॉ. भीवसिंह राठौड़ खिरजां, सवाईसिंह महिया, जीवराजसिंह चारण, तेजाराम परिहार, डॉ. मांगीलाल गेवा, अमरसिंह बालेसर, भगवानसिंह तेना. गायड़सिंह रायसर, गायड़सिंह बालेसर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पदमदान चारण, मोतीसिंह इन्दा बालेसर, घनश्याम सोनी, सुमेराराम प्रजापत, उम्मेदसिंह सुवालिया, गोविंदसिंह खिरजां सहित अनेक प्रतिष्ठित रचनाकार, मातृभाषा-साहित्य प्रेमी, गणमान्य नागरिक तथा शोध-छात्र मौजूद रहे।

'यमुना जल हमारा हक' जागरूकता प्रचार रथ कोलसिया पहुंचा

कोलसिया, (निसं)। यमुना जल हमारा हक आंदोलन समिति के तत्वावधान में रवाना हुआ जागरूकता आंदोलन का प्रचार रथ शनिवार को बिरोल ग्राम पंचायत से शुरू होकर नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अनेक गांवों में पहुंचा। ग्राम पंचायतों में नुक्कड़ सभाएं आयोजित कर ग्रामीणों व किसानों को जागरूक करने व आंदोलन से जोड़ने का आव्हान किया गया।

समिति के नवलगढ़ विधानसभा अध्यक्ष राजेश कटेवा ने कहा कि क्षेत्र के किसानों के हित में यमुना जल आंदोलन खड़ा किया गया है। इसे निरंतर जारी रखेंगे। साथ ही कटेवा ने कहा कि शीघ्र ही शेखावाटी को यमुना जल शुरू नहीं हुआ तो हमारा क्षेत्र कभी भी शुष्क घोषित हो सकता है।

रथ यात्रा बिरोल के बाद कोलसिया, बड़वासी, कारी, जाखल, बुगाला, राणासर, तोगड़ा, देवगांव, सौंथली, ढिगाल सहित अनेक गांवों में पहुंची। यात्रा के साथ समिति संयोजक एडवोकेट चौधरी सहीराम, कोलसिया के पूर्व सरपंच सुभाष दूत, दयाराम, राकेश, ओमप्रकाश महला, बजरंगलाल बेरवाल, बनवारीलाल कल्याण, दिलीप दूत, महावीरप्रसाद, झाबरसिंह, शीशराम, गंगाधर दूत, मालीराम, मामराज खेदड़, जयप्रकाश, भागीरथसिंह, मंगलचंद कालेर, विजेंद्र गोदारा, बीरबल, सुरेश, मूलचंद, सुरेश, सत्यनारायण शर्मा सही अनेक किसान मौजूद थे।

- **नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में नुक्कड़ सभाएं आयोजित**
- **ग्रामीणों व किसानों को जागरूक करने व आंदोलन से जोड़ने का आव्हान**
- **'शीघ्र ही शेखावाटी को यमुना जल शुरू नहीं हुआ तो हमारा क्षेत्र कभी भी शुष्क घोषित हो सकता है'**

यमुना जल हमारा हक आंदोलन समिति के तत्वावधान में रवाना हुआ जागरूकता आंदोलन का प्रचार रथ नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अनेक गांवों में पहुंचा।

राशिफल

पंडित अनिल शर्मा

सोमवार 26 जून, 2023

आषाढ़ मास, शुक्ल पक्ष, अष्टमी तिथि, सोमवार, विक्रम संवत 2080, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र दिन 12:44 तक, व्यतिपात योग प्रात: 6:06 तक, विष्टि करण दिन 1:15 तक, चन्द्रमा कन्या राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-मिथुन, चन्द्रमा-कन्या, मंगल-कर्क, बुध-मिथुन, गुरू-मेष, शुक्र-कर्क, शनि-कुम्भ, राहु-मेष, केतु-तुला राशि में।

आज भद्रा प्रात: 1:15 तक है। आज दुर्गाष्टमी, परशुरामाष्टमी, खरमी पूजा है। आज अष्टानिका महापर्व जैन आरम्भ होगा।

सर्वश्रेष्ठ चौघड़िया: अमृत सूर्योदय से 7:21 तक, शुभ 9:04 से 10:47 तक, चर 2:12 से 3:55 तक, लाभ-अमृत 3:55 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 7:30 से 9:00 तक। सूर्योदय 5:34, सूर्यास्त 7:20

मेष

स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी। दिनचर्या में सुधार होगा। घर-परिवार में चल रहे आपसी मतभेद समाप्त होंगे। व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।

वृष

परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा।

मिथुन

घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। अतिथियों का आगमन बना रहेगा। व्यक्तिगत प्रयासों से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कर्क

परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। मित्रों/रिश्तेदारों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। घर-परिवार के मामलों में संयम रखना ठीक रहेगा।

सिंह

आर्थिक/वित्तीय मामलों में संतुलन बनाए रखना ठीक रहेगा। व्यावसायिक खर्चों में वृद्धि हो सकती है। नौकरीपेशा व्यक्तियों को बाहर जाना पड़ सकता है। घर-परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

कन्या

अपने अति आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। घर-परिवार में चल रहे आपसी मतभेद समाप्त होंगे। व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

तुला

व्यावसायिक कार्यों से संबंधित आर्थिक समस्या का समाधान हो सकता है। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। चलते कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक सुविधाएं बढ़ेगी।

वृश्चिक

संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा। आय में वृद्धि होगी। आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में लापरवाही ठीक नहीं रहेगी।

धनु

व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन हो सकता है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मकर

धार्मिक कार्यों के लिए बाहर जाने का कार्यक्रम बन सकता है। शुभ कार्यों में भाग लेने का अवसर मिलेगा। नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कुंभ

चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान सामने आ सकते हैं। बनते कार्य बिगड़ने का भय बना रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। यात्रा टालना ठीक रहेगा।

मीन

परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। सामूहिक प्रयासों से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।